



## प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 08.01.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

### **1—अवैध चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन्स:-**

अवगत कराना है दिनांक 07.01.2025 की रात्रि को थाना प्रभारी सिविल लाइन्स व उ0नि0 श्री सुनील राठी थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी फारुक पुत्र स्व0 अनीस निवासी करुला जाहिद नगर निकट नूरी मस्जिद थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-013/2025 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।



### **गिरफ्तार अभियुक्त:-**

फारुक पुत्र स्व0 अनीस निवासी करुला जाहिद नगर निकट नूरी मस्जिद थाना कटघर जनपद मुरादाबाद  
**बरामदगी:-**

250 ग्राम चरस।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

श्री मनीष सक्सैना प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन्स मुरादाबाद।

उ0नि0 श्री सुनील राठी थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

हे0का0 रोहताश थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

हे0का0 अरुण पंवार थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

हे0का0 ऋषिपाल थाना सिविल लाइन्स, मुरादाबाद।

### **2-एक राय होकर गाली-गलौज मारपीट करते हुये, अवैध तमंचे दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना पाकबड़ा:-**

अवगत कराना है दिनांक 04.01.2025 को वादी पिकल पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना डिडौली, अमरोहा ने अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के साथ गाली-गलौज करते हुये मारपीट करने तथा अवैध तमंचे दिखाकर, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में तहरीर दी। तहरी के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0-05/25 धारा-191(2), 115(2), 351(2), 352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर आज दिनांक 08.01.2025 को उ0नि0 श्री चन्द्रकान्त बालियान थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपीगण 1. चिरंजीव सिंह पुत्र सूरवीर सिंह निवासी पी.02/25 तीसरी मंजिल बीपीटीपी सैक्टर 75 फरीदाबाद हरियाणा हाल निवासी रूद्र होटल ग्राम पचौकरा थाना छजलैट, मुरादाबाद 2. जतिन चौधरी पुत्र स्व नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना छजलैट, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण से दो अवैध तमंचे 315 बोर बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।



### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. चिरंजीव सिंह पुत्र सूरवीर सिंह उम्र करीब 33 वर्ष निवासी बीपीटीपी सैक्टर 75 फरीदाबाद हरियाणा हाल निवासी रूद्र होटल ग्राम पचौकरा थाना छजलैट, मुरादाबाद ।
2. जतिन चौधरी पुत्र स्व नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खानपुर थाना छजलैट, मुरादाबाद ।

### बरामदगी:-

दो अवैध तंमचे 315 बोर

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- उ0नि0 श्री चन्द्रकान्त बालियान थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद ।  
का0 अनिल कुमार थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद ।  
का0 प्रभात पुन्डीर थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद ।  
का0 तौफीक अली थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद ।

### 3-दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना पाकबड़ा:-

अवगत कराना है दिनांक 03.01.2025 को वादिनी निवासी थाना कुन्दरकी क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करने व शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने आदि के संबंध में थाना पाकबड़ा पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0-04/25 धारा-64(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 08.01.2025 को व0उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी जमशेद पुत्र जाबिर नि0 हाथीपुर चित्तू, कुन्दरकी थाना कुन्दरकी, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया ।



### गिरफ्तार अभियुक्त:-

जमशेद पुत्र जाबिर नि0 हाथीपुर चित्तू थाना कुन्दरकी, मुरादाबाद ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- व0उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद ।  
उ0नि0 श्री जनक सिंह थाना पाकबड़ा, मुरादाबाद ।

### 4-थाना मझोला पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 02 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2025 की रात्रि को थाना मझोला पुलिस द्वारा आरोपीगण 1.- अनमोल उर्फ सिंघम पुत्र विष्णु ठाकुर निवासी सूर्यनगर कृष्णा पब्लिक स्कूल थाना मझोला, मुरादाबाद । (2) सोनित पुत्र राजेंद्र निवासी सूर्यनगर कृष्णा पब्लिक स्कूल थाना मझोला, मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

